

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक-10.07.2021

थाना पिपरी पुलिस व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता,  
एल्युमीनियम गायब करने वाला पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,  
घटना में प्रयुक्त ट्रक व बिक्री के नगद चार लाख रूपये बरामद

दिनांक 12.04.2021 को वादी श्री सुमन कुमार जायसवाल पुत्र धर्मदेव प्रसाद जायसवाल नि० विवेकानन्द कालोनी थाना पिपरी सोनभद्र द्वारा सूचना दी गयी कि वह शैलासुता लाजिस्टिक प्रा०लि० मे मैनेजर हैं उसकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा दिनांक 24.03.2021 को हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकुट से कुल 924 नग एल्युमीनियम सिल्ली जिसका कुल वनज 20.89 मीट्रीक टन था वाहन संख्या एचआर 73-2657 से रूडकी भेजा जा रहा था परन्तु उक्त वाहन नियत समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुचा है। इस सूचना पर थाना पिपरी पर मु०अ०सं० 50/2021 धारा-406 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में थाना पिपरी पुलिस व अपराध शाखा की स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 30.05.2021 को जनपद एटा से 667 नग एल्युमीनियम सिल्ली के साथ 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था परन्तु उपरोक्त ट्रक के चालक को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी जिसे पकड़ने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 03.07.2021 को 20 हजार नगद पुरस्कार घोषित किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा अपराध शाखा के सर्विलांस टीम को विशिष्ट निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ,मुख्यालय सोनभद्र के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी पिपरी के निर्देशन में सर्विलांस तथा प्रभारी निरीक्षक पिपरी की सयुक्त टीम गठित की गयी। इस टीम द्वारा अथक लगन व परिश्रम से अपना आसूचना संजाल तैयार किया गया। आज दिनांक 10.07.2021 को सर्विलांस टीम तथा थाना पिपरी पुलिस को जरिये मुखबीर खास के सूचना प्राप्त हुयी कि हाथीनाला हनुमान मन्दिर के पास उक्त ट्रक के साथ अभियुक्त उपस्थित हैं, यदि जल्दी चला जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर सर्विलांस प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक पिपरी के नेतृत्व में हाथीनाला पिपरी मार्ग पर हनुमान मन्दिर के पास से अभियुक्त को एल्युमीनियम बिक्री के पैसे नगद रूपये 4 लाख व ट्रक के साथ पकड़ लिया गया । अभियुक्त द्वारा ट्रक का नम्बर एचआर 73-2657 से बदल कर एचआर 38 टी 3664 लगा दिया गया था। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना पिपरी मे

मु0अ0सं0 50/2021 धारा 407,411,413,414,419,420, 467,468,471 भादवि व का अभियोग पंजीकृत है तथा विवेचना प्रचलित है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है:-

### गिरफ्तारी का विवरण~

1. राजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह नि0 ग्राम रोरी थाना मोदी नगर जनपद गाजीयाबादा  
बरामदगी का विवरण~

1. एक अदद ट्रक ।
2. एल्युमीनियम बिक्री के नगद रूपये 4 लाख।

### पुलिस टीम का विवरण~

01. प्र0नि0 श्री अंजनी कुमार राय थाना पिपरी सोनभद्र ।
02. उ0नि0 सरोजमा सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र ।
03. उ0नि0 श्री मनीष द्विवेदी चौकी प्रभारी रेनुकुट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र ।
04. हे0का0 दिवाकर सिंह, हे0का0 प्रेम चन्द्र थाना पिपरी ।
05. हे0का0 जितेन्द्र यादव, का0 प्रकाश सिंह, का0 सौरभ कुमार राय, का0 दिलीप कश्यप, का0 अमित सिंह स्वाट/सर्विलांस टीम ।

इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्द्धन हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।